



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 436 राँची, बुधवार,	4 श्रावण, 1945 (श०)
	26 जुलाई, 2023 (ई०)

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई, 2023

अधिसूचना जी. एस. आर. - 1784--

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 131 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली 2022 का औपबंधिक प्रारूप प्रकाशित किया जाता है ।

नियम**अध्याय 1****प्रारम्भिक****1. झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली 2022****संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-**

- (क) यह नियमावली **“झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली, 2022”** कहलायेगी।
- (ख) यह सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- (ग) इसका विस्तार झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में होगा।

2. परिभाषाएँ: इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) **“अधिनियम”** से अभिप्रेत है झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001
- (ख) **“बैठक”** से अभिप्रेत है ग्राम सभा एवं ग्राम सभा के सहयोग के लिए गठित समितियों की बैठक।
- (ग) **“धारा”** से अभिप्रेत है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धाराएँ।
- (घ) **“सचिव”** से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव।
- (ङ) **“ग्राम सभा अध्यक्ष”** से अभिप्रेत है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो जो ग्राम प्रधान ग्राम सभा अध्यक्ष यथा मांझी, मुंडा, मानकी, डोकलो सोहोर, पंचपरगनैत, पड़हा-राजा, पाहन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो।
- (च) **“अनुसूचित क्षेत्र”** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 खंड (1) के अधीन घोषित पांचवी अनुसूचित के क्षेत्र।
- (छ) **“ग्राम सभा”** से अभिप्रेत है, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 की धारा 3 में परिभाषित ग्राम सभा।
- (ज) **“ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति”** से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित मुखिया एवं वार्ड सदस्य।
- (झ) **“सामुदायिक संसाधन”** से अभिप्रेत है, ग्राम सभा के अधिसूचित पारम्परिक सीमा क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक संसाधन यथा जल, जंगल, जमीन, लघु खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन जो निजी स्वामित्व से अलग है एवं पारंपरिक सामुदायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाते हैं।

यथा-1: भू-राजस्व अभिलेख में ग्राम सभा सीमा क्षेत्र के भीतर संधारित सामुदायिक संसाधन।

यथा-2: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा अन्य कोई अधिनियम, नियम या विनियमन के अधीन मान्यता प्राप्त सामुदायिक अधिकार।

यथा-3: जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं तत्संबंधी नियमावली के अधीन जन जैव विविधता पंजी में संधारित ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर पारम्परिक ज्ञान, पद्धति, जैव विविधता के संतुलन स्थापित करती कृषि तकनीक, बौद्धिक ज्ञान सम्पदा इत्यादि।

यथा 4: निहित प्रावधानों के अधीन ग्राम सभाओं के सामूहिक निर्णय के माध्यम से तय पारम्परिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक संसाधन।

- (ज) “लघु वन उपज” के अंतर्गत पादक मूल के सभी गैर-इमारती वनोत्पाद हैं, जिसमें, बाँस, झाड़ झंकाड़, टूँठ, बेंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाह, तेंदू या केन्दू पत्ते औषधीय पौधों और जड़ी-बुटीयाँ, मूल, कन्द और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं;
- (ट) “जंगल” से अभिप्रेत हैं, वन भूमि तथा उसमें पाए जाने वनोपज, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 2(4) में यथा परिभाषित है,
- (ठ) “वन भूमि” से अभिप्रेत हैं, किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित वन या समझे गये वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं;
- (ड) “लघु जल निकायों” से अभिप्रेत है, गाँव की सीमा में आने वाले ऐसे जल निकाय यथा- चुआँ, डांडी, झरना, आहर, पाईन, तालाब अथवा नदी, नाला या अन्य किसी नाम से जाने वाली संरचनाएं आएगी जिसका जल भराव का क्षेत्रफल 10 (दस) हेक्टेयर तक हो ।
- (ढ) “लघु खनिज” से अभिप्रेत है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड(ई) में परिभाषित लघु खनिज।
- (ण) “मादक द्रव्य” से अभिप्रेत है, झारखण्ड एक्साइज एक्ट 1915 के धारा-4 में परिभाषित “देशी शराब” या “विदेशी शराब” की श्रेणी में आने वाले वाले मादक पदार्थ।
- (त) “उधार” से अभिप्रेत है, झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) अधिनियम 2016 की धारा- 2 (ग) में परिभाषित उधार।
- (थ) “समुचित स्तर पर पंचायत” से अभिप्रेत हैं, त्रिस्तरीय पंचायत का वह स्तर जो किसी विशिष्ट कृत्य के अनुपालन के लिए अधिकृत किये गए हैं।
- (द) “परामर्श” से अभिप्रेत है, इस नियम के अधीन पूर्व संसूचित सलाह या विमर्श ।
- (ध) “प्राकृतिक संसाधन” से अभिप्रेत है, वैसे सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त एवं निर्मित हो।
- (न) “गृहस्थी” से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों का कोई समूह जो एक ही घरेलू इकाई के सदस्यों के रूप में संयुक्त रूप से निवास तथा भोजन करता हो ।

अध्याय 2**ग्राम सभा****3. ग्राम एवं ग्राम सभा का गठन :**

- (क) झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 2(ii) के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम का गठन किया जायेगा।
- (ख) झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 3 (i) एवं (iii) के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश पर जिला दंडाधिकारी, जिला गजट में अधिसूचना द्वारा ग्राम को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

4. ग्राम सभा का गठन एवं उसकी संरचना: झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं काम काज का संचालन) नियमावली 2003 की धारा 3 एवं 4 में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुकूल ग्राम सभा का गठन किया जायेगा एवं उसी के अनुरूप संरचना होगी।

5. ग्राम सभा के काम काज का संचालन : झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं काम काज का संचालन) नियमावली 2003 की धारा 5 से 13 में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुकूल ग्राम सभा की बैठक एवं काम काज का संचालन किया जायेगा। अन्य निम्न नियम प्रभावी होंगे,

5.1 ग्राम पंचायत का कार्यालय ही ग्राम सभा का कार्यालय होगा। यदि किसी पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो, तो प्रत्येक ग्राम सभा का अपने गाँव में अपना कार्यालय होगा, जैसे कि सार्वजनिक भवन, समाज मंदिर, खाली स्कूल या कोई भी स्थान जहाँ जनता की पहुँच आसान हो, और ऐसा कोई स्थान न होने की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति का घर, बशर्ते कि ऐसे कार्यालय के लिए किसी भी रूप में कोई किराया नहीं दिया जाएगा

5.2 ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सामान्य अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करेगी।

5.3 ग्राम सभा के निर्णयों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति की होगी।

6. ग्राम सभा की स्थायी समितियाँ:**6.1**

(क) ग्राम सभा अपने कृत्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी:-

ग्राम विकास समिति	ग्राम विकास समिति, ग्राम के सम्पूर्ण विकास के लिए एक योजना तैयार करेगी तथा इसे ग्रामसभा को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।
सार्वजनिक सम्पदा समिति	यह समिति गांवों में उपलब्ध सभी सरकारी तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा रख सकेगी। गांव के सामुदायिक एवं प्राकृतिक संसाधन यथा- जल, जंगल, जमीन के संरक्षण, संवर्द्धन तथा उपयोग के मामले में ग्रामसभा को अपना मंतव्य देगी।

कृषि समिति	यह समिति कृषि, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वानिकी तथा इससे सम्बद्ध गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के मामले में विचार कर सकेगी।
स्वास्थ्य समिति	इस समिति द्वारा ग्रामीण स्वच्छता, महिला एवं बाल-स्वास्थ्य, पोषण तथा परिवार कल्याण संबंधी योजनाओं पर विचार कर सकेगी।
ग्राम रक्षा समिति	गांवों की जमीन पर अतिक्रमण, खेत की मेड़ को लेकर विवाद, पशु द्वारा फसल खाने पर उत्पन्न विवाद, गांवों में पारिवारिक झगड़ों का निराकरण तथा गांव की शांति व्यवस्था को बहाल करने में ग्राम रक्षा समिति की भूमिका निभा सकेगी।
आधारभूत संरचना समिति	इस समिति ग्रामीण आवास, जलापूर्ति स्रोतों, शौचालय, सड़क एवं आवागमन के अन्य माध्यमों, ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ-साथ सभी प्रकार के निर्माण कार्य एवं उनका अनुश्रवण कर सकेगी।
शिक्षा एवं सामाजिक न्याय समिति	यह समिति मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा, जनशिक्षा, साक्षरता, पुस्तकालय, सामाजिक न्याय एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों के विषय पर काम करेगी। समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के साथ ही कमजोर वर्गों यथा-दिव्यांगाजन एवं आदिम जनजाति के शैक्षणिक-आर्थिक उत्थान, सामाजिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान करना एवं महिलाओं व बच्चों के कल्याण संबंधी कार्य करेगी।
निगरानी समिति	ग्राम सभा के भौगोलिक सीमा के भीतर ग्राम पंचायत या किसी भी अन्य सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यों, योजनाओं अन्य कार्यकलापों चाहे वह व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित हो या सामुदायिक विकास की योजनाएं हो, निगरानी समिति को उसके पर्यवेक्षण करने और ग्राम सभा को विधि सम्मत कारवाई के लिए अनुसंशा करने का अधिकार होगा। ग्राम सभा आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन कर सकती है। ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य निगरानी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है।

(ख) ग्राम सभा शांति और कानून व्यवस्था, लघु वन उपज के स्वामित्व एवं प्रबंधन, मादक द्रव्य के निगरानी, उधार पैसे के ऊपर नियंत्रण एवं जल निकायों के प्रबंधन जैसे कार्यों हेतु अलग से समितियों का गठन कर सकेगी अथवा नियम 6.1(क) के अंतर्गत गठित समितियों को सम्बंधित कार्यों को हस्तांतरण भी कर सकेगी।

(ग) ग्राम सभा प्रस्ताव के माध्यम से समितियों के सदस्यों एवं कार्यों को संशोधित कर सकेगी एवं स्थायी समितियाँ ग्राम सभा के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगी। विशेष परिस्थिति में दो या दो से अधिक गाँव का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन किया जा सकता है।

(घ) उपरोक्त समितियों का गठन ग्राम सभा की साधारण बैठक में सदस्यों की आम सहमति/बहुमत के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक समिति में 8 -11 सदस्य होंगे, जिसके अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी एवं कम से कम 40 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना अनिवार्य होगा। समिति स्वयं अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में एवं एक को संयोजक मनोनीत करेगी।

6.2 स्थायी समितियों की कार्य प्रणाली:

- (क) साधारणतः कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक ग्राम सभा क्षेत्र के अंदर, ग्राम सभा द्वारा निर्धारित, स्थान पर माह में कम से कम एक बार होगी।
- (ख) समितियों की बैठक की सूचना बैठक की तारीख से पूरे तीन दिन पूर्व उसके सभी सदस्यों को दी जाएगी। सूचना में तारीख, समय, स्थान एवं चर्चा के बिंदु भी वर्णित होंगे।
- (ग) स्थायी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति तत्समय गठित स्थायी समिति के आधे सदस्यों से होगी। यदि किसी बैठक में गणपूर्ति न हो तो बैठक के अध्यक्ष ऐसी तारीख तथा समय के लिए बैठक स्थगित कर सकेंगे, जो उनके द्वारा नियत किया जाये तथा इसकी सूचना सभी को हो। ऐसी अगली बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (घ) ग्राम सभा का कोई भी सदस्य किसी भी स्थायी समिति की बैठक में ग्राम सभा अध्यक्ष की अनुमति से भाग ले सकता है परन्तु उसे निर्णय के लिए मतदान देने का अधिकार नहीं होगा।
- (ङ) स्थायी समिति के किसी बैठक के समक्ष लाए गए प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। मतों के बराबर होने की दशा में सभापति/अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
- (च) स्थायी समिति मुख्यतः केवल उनको सौंपे गए मामलों के सम्बन्ध में ही विनिश्चय करेगी। यदि मामले में वित्तीय पहलु भी निहित हैं तो उस मामले को अपनी सिफारिश के साथ आगे विचारार्थ हेतु ग्राम सभा के समक्ष रखेगी।
- (छ) बैठक की कार्यवाही स्थायी समिति के संयोजक द्वारा अभिलिखित की जायेगी।
- (ज) सभी समितियों की बैठक की कार्यवाही अलग अलग पंजी में दर्ज की जायेगी तथा उसे पंचायत सचिव की अभिरक्षा में ग्राम सभा या पंचायत कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय-3

सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन

7. सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन :

- (क) ग्राम सभा अपने पारंपरिक सीमा के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों का जैसे भूमि, जल, वन एवं लघु खनिज का अनुसूचित जनजाति परंपरा के रुढ़िजन्य विधि सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं के अनुसार परंतु संविधान के उपबंधों के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त केंद्र या राज्य सरकार के सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक ध्यान रखते हुए प्रबंध कर सकेगी एवं सामुदायिक स्वामित्व का अधिकार भी रख सकेगी।
- (ख) ग्राम सभा की सार्वजनिक सम्पदा समिति पारम्परिक क्षेत्र के सीमा के भीतर अवस्थित सामुदायिक संसाधनों का विवरणी अभिलेख पंजी में संधारित करेगी।

- (ग) सार्वजनिक सम्पदा समितिग्राम सभा क्षेत्र के सीमा के भीतर अवस्थित सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत् उपयोग हेतु प्रबंधन 5 वर्षीय योजना तैयार कर ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायेगी।
- (घ) ग्राम सभा की सार्वजनिक सम्पदा समिति, ग्राम सभा के क्षेत्रांतर्गत संसाधनों का प्रबंधन करेगी। ग्राम सभा या समिति के आमंत्रण पर प्राकृतिक संसाधनों से संबन्धित जानकारी व्यक्ति या किसी विभाग के प्रतिनिधि/ विशेषज्ञ या संबन्धित क्षेत्र में काम करनेवाली कोई संस्था इस समिति के बैठकों में भाग ले सकते हैं।
- (ङ) ग्राम सभा सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन एवं सतत् उपयोग हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ;
- I. सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा क्षेत्र के सभी ग्रामीणों को समान रूप से पहुँच हो।
 - II. ऐसी किसी क्रियाकलापों या विनाशकारी व्यवहारों पर विनियमित करेगी, जिससे कि सामुदायिक संसाधनों, पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।
 - III. सामुदायिक संसाधनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन समुदाय के पारम्परिक पद्धति तथा प्रथाओं के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय-4

परम्पराओं का संरक्षण एवं विवादों का निपटारा

8. परम्पराओं का दस्तावेजीकरण:

- (क) ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातीय समुदायों के रुढ़िजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का संधारण करेगी एवं उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
- (ख) राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के अधिकार एवं दायित्व के सम्बन्ध में निर्गत नियम अनुसूचित जनजातिकी प्रथा, सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक प्रबंधन के अनुरूप होगा और यदि-
- I. ग्राम सभा में जब यह राय हो कि कोई नियम जिसे अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है, वह उनकी प्रथा, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं या कोई भी विषय जो अनुसूचित क्षेत्रों के दायरे में आता है के अनुरूप नहीं है तो ग्राम सभा इससे सम्बन्धित प्रस्ताव बैठक में पारित कर सकती है।
 - II. इस प्रकार के पारित प्रस्ताव को ग्राम सभा उपायुक्त को अग्रसारित करेगी, जिसे उपायुक्त राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।
 - III. सरकार ऐसे संकल्प पर आवश्यक कार्यवाई करेगी और सूचित करेगी।
- (ग) संविधान तथा सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने का मौलिक दायित्व होगा। ग्राम सभा अपने समुदाय की परम्परा के अनुरूप ग्राम सभा क्षेत्र में निम्न कारवाइयों/कार्यों के लिए सक्षम होगी-

- I. भय रहित शांत माहौल कायम करना,
 - II. ग्राम सभा के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मसम्मान की रक्षा करना,
 - III. महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार सार्वजनिक स्थानों पर झगड़े इत्यादि सहित असामाजिक तत्वों के द्वारा किये जाने वाले दुराचार पर रोक लगाना,
 - IV. विवादों का समाधान पारंपरिक रीति रिवाजों एवं प्रथागत कानून के अनुसार किया जाना,
- (घ) ग्राम में शांति व्यवस्था बनाये रखना ग्राम सभा की **“ग्राम रक्षा समिति”** का उत्तरदायित्व होगा एवं ग्राम रक्षा समिति द्वारा पारम्परिक रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो मांझी, मुण्डा-मानकी, पड़हा राजा, परगनैत, पाहन, महतो या किसी भी अन्य नाम से जाने जाते हों, उनसे परामर्श एवं सहयोग लिया जाना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि समिति के अंतर्गत शिक्षित, प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाए एवं ऐसे व्यक्तियों का कोई अपराधिक इतिहास न हो। परन्तु, प्रभावशाली व्यक्ति के संबंध में यह सुनिश्चित करना होगा कि वो समिति के सदस्यों पर दबाव न बना सके। यदि समिति सदस्यों पर अपराध का आरोप या पीड़ित के रूप में आवेदन किया हो तो, ऐसे सदस्य समिति के सदस्य के रूप में सुनवाई प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। समिति निम्न कार्यों को कर सकेगी:-
- I. ग्राम-सभा के निर्देशानुसार समिति संविधान के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय ले सकेगी।
 - II. पड़ोस के गाँव के साथ बेहतर एवं सौहार्द पूर्ण संबंध सुनिश्चित करना एवं पड़ोसी गाँव से विवादित मुद्दों पर परस्पर बातचीत करना।
 - III. ग्राम की शांति भंग करने वाली घटनाओं, जो ग्राम रक्षा समिति के संज्ञान में आता है, उनकी जांच कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु ग्राम सभा को प्रतिवेदित करना।
 - IV. शांति भंग करने वालों को समझाना, यदि आवश्यक हो तो अविलंब इसका प्रतिवेदन ग्राम सभा को सौपना।
 - V. यदि विवादों का निपटारा ग्राम सभा या पारम्परिक व्यवस्था के समुचित स्तर पर नहीं हो पाता है तो ग्राम सभा प्रतिवेदन तैयार कर उपर्युक्त कार्रवाई के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी से अनुरोध करेगा।
 - VI. ग्राम रक्षा समिति द्वारा जानमाल की सुरक्षा करना एवं शांति व्यवस्था कायम करना।
 - VII. अंधविश्वास एवं जादू टोना से संबन्धित मुद्दों पर ग्राम रक्षा समिति अपना प्रतिवेदन ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करेगी।
 - VIII. अंधविश्वास, जादू टोना, डायन बिसाही, ओझा आदि के संभावित घटनाओं को रोकने के लिए तथा इन्हें इन कुरीतियों को समाप्त करने हेतु यथा संभव अभियान चलाएगी।
- (ङ) **ग्राम सभा में विवादों की सुनवाई:**
- I. ग्राम सभा के समक्ष शिकायत ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा लिखित, मौखिक, दूरभाष एवं अन्य माध्यमों से लाया जा सकता है।
 - II. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के द्वारा ग्राम सभा में विवाद को लाया जाता है तो ग्राम सभा इस पर 8 दिनों के अन्दर विचार करेगी और सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित करेगी।

- III. ग्राम सभा परम्परागत एवं पारिवारिक विवाद जैसे मुद्दे जिसे आपसी चर्चा से सुलझाया जा सके वैसे मुद्दों की सुनवाई करेगी।
- IV. ग्राम सभा भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में वर्णित मुद्दे को स्थानीय स्तर पर सुनवाई कर सकेगी।
- V. ग्राम सभा गंभीर अपराधिक सम्बंधित मुद्दों को (परिशिष्ट-1 के मुद्दों को छोड़कर) निकटतम थाना प्रभारी को तत्काल में सूचित करेगी।
- VI. ग्राम सभा गम्भीर वित्तीय/आर्थिक सम्बंधित मुद्दों को (परिशिष्ट-1 के मुद्दों को छोड़कर) अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रसारित करेगी।
- VII. गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग समय-समय पर नियम में बदलाव करके अन्य मुद्दों को ग्राम सभा को हस्तांतरित कर सकेगी एवं सुनवाई से सम्बंधित संधारित किये जाने वाले मामलों के दस्तावेजीकरण की कार्रवाई प्रक्रिया सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- VIII. किसी विवाद पर सुनवाई अनिवार्य रूप से सार्वजनिक स्थान पर होगी।
- IX. ग्राम सभा या इसके द्वारा अधिकृत ग्राम सभा की "शिक्षा एवं सामाजिक न्याय समिति" विहित रीति से मामले की सुनवाई के लिए सक्षम होगी एवं निर्णयानुसार समुचित कार्यवाई के लिए सक्षम होगी।
- X. विवादों का निर्णय करते समय प्राकृतिक न्याय एवं प्रथागत कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा।
- XI. अंतिम निर्णय पर पहुँचने के पूर्व दोनों पक्ष के व्यक्तित्वों तथा कारवाई में सक्रिय रूप से शामिल सभी अन्य लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा।
- XII. ग्राम सभा का मन्तव्य प्राप्त होने के बाद यदि आवश्यक हो तो सम्बंधित समिति उचित संशोधन कर सकेगी एवं अपने निष्कर्षों एवं प्रस्तावों को पुनः ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगी।
- XIII. सभी लोगों/पक्षों की राय को सुनने के बाद सम्बंधित समिति मामले पर अपने निष्कर्षों एवं अनुशंसा को ग्राम सभा के समक्ष आगे की कारवाई के लिए प्रस्तुत करेगी एवं तदनुसार ग्राम सभा निर्णय लेगी। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी की ग्राम सभा में दोनों पक्षों से सम्बंधित व्यक्तियों का समिति या ग्राम सभा के निर्णय में भागीदारी नहीं हो ।
- XIV. निर्णय की प्रति दोनों पक्षों को दी जाएगी एवं उसकी एक प्रति ग्राम सभा में भी संधारण की जाएगी।
- XV. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के मामलों में 15 दिन के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगी।

(च) ग्राम सभा के द्वारा दंड:

- I. जहां क्षति करने की कोई नियत नहीं हो तो वैसी स्थिति में अपनी भूल को स्वीकारना, ग्राम सभा के सामने पश्चाताप करना, गलती के लिए क्षमा मांगना और ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की प्रतिज्ञा करने को उपयुक्त दंड माना जाएगा।

- II. ग्राम सभा को कारावास की सजा देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- III. ग्राम सभा आर्थिक दंड अधिकतम रु- 5000 तक का निर्धारण आर्थिक नुकसान एवं व्यक्ति की सक्षमता को देख कर कर सकेगी।
- IV. ग्राम सभा दण्डित व्यक्ति के अपीलीय अधिकार का पालन करेगी।

(छ) ग्राम सभा के निर्णय पर अपीलीय अधिकार:

ग्राम सभा के निर्णय से किसी पक्षकार की असहमति की स्थिति में पक्षकार द्वारा न्यायलय, अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी या अन्य किसी सक्षम प्राधिकार के समक्ष ग्राम सभा के निर्णय से 30 दिनों के अन्दर पुनर्विचार हेतु अपील कर सकता है।

अध्याय-5

विकास योजना का अनुमोदन, लाभार्थियों का पहचान एवं सामाजिक क्षेत्र के संस्थाओं के कार्यों पर नियंत्रण

9. विकास योजनाओं का प्रस्तावन एवं अनुमोदन:

9.1 ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का प्रस्तावन एवं अनुमोदन:-

(क) ग्राम सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) की योजनाओं, राज्य की योजनाओं, जनजातीय उप-योजना, जिले में चल रही जिला खनिज निधि न्यास (DMFT) तथा गाँव की सभी सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाओं को अनुमोदित करेगी।

(ख) ग्राम पंचायत के लिये अनिवार्य होगा कि वह गांव की योजनाओं एवं परियोजनाओं को लागू करने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा या सभी ग्राम सभाओं (परियोजना के भौगोलिक क्षेत्रानुसार) की स्वीकृति प्राप्त करे।

I. गांव में किसी कार्यक्रम या परियोजना की शुरुआत करने के पूर्व ग्राम पंचायत कोई भी सरकारी विभाग या अन्य कोई संस्थान इसकी स्वीकृति के लिये ग्रामसभा को लिखित प्रस्ताव भेजेगी। ग्राम सभा द्वारा पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत योजना पर निर्णय देना अनिवार्य होगा अन्यथा योजना स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। ग्राम सभा के सचिव प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि को पत्र प्राप्ति रजिस्टर में लिखेंगे एवं अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देंगे। अध्यक्ष 15 दिनों के अन्दर ग्राम सभा की बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु, विशेष परिस्थिति में जब ग्राम सभा सुनवाई जारी हो परन्तु तय समय -सीमा में ग्राम सभा निर्णय लेने में असमर्थ हो तो ऐसे परिस्थिति में ग्राम सभा अलग से 30 दिनों का समय ले सकेगी एवं उप-विकास आयुक्त को लिखित में रूप से प्रारंभिक समय सीमा के अंतर्गत सूचित करेगी।

(ग) संबंधित संस्थान अपने प्रस्ताव में योजना/ परियोजना की पूरी जानकारी ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा कभी भी, वांछित सूचनाओं/जानकारियों की मांग कर सकती है। ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव में निम्न सूचनाओं का होना अनिवार्य होगा :

I. कार्यक्रम का महत्व एवं प्रासंगिकता, कार्यक्रम से होने वाले लाभ (संरचना के स्तर पर, सेवाओं के स्तर पर, स्थानीय लोगों को मिलने वाले रोजगार, आजीविका के स्तर इत्यादि)।

- II. कार्यक्रम का पूर्ण वित्तीय विवरण, जैसे- बजट, व्यय की अवधि, व्यय का स्वरूप, वित्तीय मदद (यदि कोई हो तो), निधि का स्रोत आदि।
- III. निर्माण कार्य एवं उसके विविध आयाम, निर्माण सामग्री, तकनीक और मशीनों का प्रयोग, स्थानीय श्रमिकों की भागीदारी, संवेदकों की भूमिका, इत्यादि से संबंधित मामले।

(घ) यह ग्रामसभा का अधिकार होगा कि:

- I. संबंधित संस्थान/विभाग/एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत योजना, कार्यक्रम या परियोजना को उसी रूप में स्वीकृत करे, या कोई शर्त लगाये।
- II. कार्यक्रम के लिये अनुमोदन देते समय, गांव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव में आवश्यक बदलाव का निर्देश ग्राम सभा दे सकेगी।
- III. ग्राम सभा द्वारा यह अनुमोदन, संशोधन या रद्द करने का प्रस्ताव (ग्राम सभा की बैठक के एजेंडे में) लिखित आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर ही लाया जा सकेगा अन्यथा प्रस्ताव स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। ग्रामसभा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। परन्तु विवाद की स्थिति में 9.3 (ग) के अनुसार उपचार किया जाएगा।

9.2 ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों की निगरानी:

- (क)** ग्रामसभा की बैठकों में, उसके क्षेत्र में कार्य करने वाली सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के द्वारा गांव में चल रहे प्रत्येक कार्य से संबंधित का विवरण तय प्रारूप में एक निश्चित समय अवधि के अन्दर दिये जायेंगे। ग्राम सभा जब आवश्यक समझे, गाँव में चल रहे कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन सम्बंधित एजेंसी से मांगकर सकती है।
- (ख)** कार्य की गुणवत्ता, व्यय के प्रमाणन इत्यादि से संबंधित किसी आपत्ति को ग्रामसभा के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम सभा मुद्दे की जांच आवश्यकता पड़ने पर कर सकती है एवं सुधार के लिये उचित निर्देश दे सकती है।
- (ग)** किसी कार्यक्रम के पूरा होने/समाप्त होने पर, उसका पूरा ब्यौरा सम्बंधित एजेंसी/विभाग द्वारा ग्रामसभा की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

9.3 ग्रामसभा के निर्णयों का अनुपालन :

- (क)** यदि किसी सरकारी विभाग/संस्थान/एजेंसी एवं ग्राम पंचायत के द्वारा किसी योजना विशेष के क्रियान्वयन की सुगमता के लिए गाँव के स्तर पर समिति के गठन की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो इस प्रस्ताव को सम्बंधित ग्राम सभा को दिया जाना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा इस नियमावली की नियम 6 के अनुसार कार्यवाही कर सकेगी।
- (ख)** ग्राम पंचायत और इसकी समितियां, ग्राम सभा के नियंत्रण एवं उसके दिशा-निर्देश में कार्य करेंगी और वे पूर्ण रूप से ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी।
- (ग)** यदि ग्राम सभा नियम 9.1 एवं नियम 9.2 में उल्लेखित अधिकारों का प्रयोग करते समय, ऐसा निर्णय लेती है, जिससे किसी विभाग/संस्थान/एजेंसी या अधिकारी के आधिकारिक कार्य में कोई व्यवधान पैदा होता हो या व्यवधान होने की संभावना हो तो, निम्न प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है:

- I. संबंधित विभाग का प्रतिनिधि विवादित मुद्दे पर कार्रवाई स्थगित करेंगे और अपने दृष्टिकोण को ग्रामसभा में प्रस्तुति करेंगे एवं निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेंगे ।
- II. यदि विभाग ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो विभाग उस मामले को जिला-उपायुक्त के पास रख सकेगी । उपायुक्त, ग्राम सभा और सम्बंधित विभाग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाकर विवादित मामले पर चर्चा करेगी एवं प्राप्त आवेदन पर 90 दिनों के अन्दर निर्णय लिया जाएगा । मामले के निष्पादन हेतु उपायुक्त सम्बंधित विभाग को निर्णय हेतु प्रतिवेदित करेंगे ।
- III. उक्त योजना/परियोजना/कार्यक्रम का कार्यान्वयन ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित शर्त के कारण संभव नहीं हो तो, ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे ।

9.4 श्रम बल के लिए ग्राम सभा के द्वारा योजना बनाना:

- (क) ग्राम सभा अपने अधिनस्थ क्षेत्र में श्रम-बल के पूर्ण उपयोग हेतु श्रम आधारित वन-संबंधी इत्यादि कार्यों के संचालन के लिए सक्षम होगी ।
- (ख) ग्रामीणों के बीच सहयोग एवं उनके ज्ञान को साझा करने के लिए, ग्राम सभा विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन कार्यक्रम कर सकती है ।

9.5 गांव के प्रवासी श्रमिक: श्रम बल के लिए ग्राम सभा के द्वारा योजना बनाना

- (क) ग्रामीणों को विशेष रूप से अविवाहित महिलाओं एवं नाबालिगों को गाँव का बाहर ले जानेवाले व्यक्तियों और संस्थानों को बाहर ले जाने से पूर्व, ग्राम सभा की पूर्वानुमति प्राप्त करना, नियोक्ता एवं कार्यस्थल का पूरा पता, संपर्क नम्बर, वेतन की प्रकृति, भुगतान का तरीका, कार्य की शर्तें, इत्यादि की जानकारी लिखित रूप में ग्राम सभा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (ख) ग्राम सभा या निगरानी समिति सुनिश्चित करेगी कि गाँव से बाहर जा रहे सभी व्यक्तियों के पास काम और अनुबंध के बारे में पूरी एवं सही सूचना हो । यदि बाहर जाने के भत्ते के रूप में उन्हें कोई अग्रिम दिया जाना है, तो उस राशि को ग्राम सभा या निगरानी समिति के सामने दिया जाएगा ।
- (ग) उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति मिलने के पश्चात ही ग्रामीणों को काम के लिए बाहर ले जाना संभव हो सकेगा।
- (घ) किशोरियों और बालिकाओं को बिचैलियों से बचाने के लिए, ग्राम सभा जैसा उचित समझे, व्यवस्था बनाने के लिए सक्षम होगी । सरकारी एवं संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अलावे, निजी या असंगठित क्षेत्र के प्रबन्धकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे संबंधित ग्राम सभा को प्रवासी ग्रामीणों (विशेषकर महिलाएँ, लड़कियाँ एवं नाबालिग बच्चें) लड़कियों की सलामती के बारे में समय-समय पर सूचित करें ।

10. लाभार्थियों की पहचान:

लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। योजनाओं के लिए लाभार्थियों के चयन के समय निम्न नियमों/प्रक्रियाओं/मापदंडों का अनुपालन करना आवश्यक होगा:

(क) योजना विशेष में लाभार्थियों के लिए निर्धारित योग्यता/पात्रता को ध्यान में रखते हुए सबसे वंचित समूह के सदस्य को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी।

- I. लाभार्थियों के चयन में सर्वप्रथम (अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों) PVTGs के सदस्य/सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- II. ग्राम सभा में विचारार्थ योजना में PVTG के सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में (अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों) PVTG सदस्य को मिल रहने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति समुदाय के एकल महिला/विधवा/वृद्ध - वृद्धा/महिला/विकलांग को प्राथमिकता दी जायेगी।
- III. अनुसूचित जनजाति समुदाय की एकल महिला/विधवा/वृद्ध-वृद्धा/महिला/किसी भी कोटि या जाति के विकलांग सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति समुदाय के पुरुष सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- IV. अनुसूचित जनजाति समुदाय के पुरुष परिवार/सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में अनुसूचित जाति समुदाय के एकल महिला/विधवा/वृद्ध -वृद्धा/महिला/विकलांग महिला को प्राथमिकता दी जायेगी।
- V. अनुसूचित जाति समुदाय की एकल महिला/विधवा/वृद्ध -वृद्धा/महिला/विकलांग सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में अनुसूचित जाति समुदाय के पुरुष पक्षिर/सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- VI. अनुसूचित जाति समुदाय के पुरुष परिवार/सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में पिछड़ी जातियों के सबसे वंचित परिवार के एकल महिला/विधवा/वृद्ध -वृद्धा/महिला/विकलांग सदस्य/सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- VII. पिछड़ी जातियों के सबसे वंचित परिवार की एकल महिला/विधवा/वृद्ध -वृद्धा/महिला/विकलांग सदस्य/सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में पिछड़ी जातियों के सबसे वंचित परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- VIII. पिछड़ी जातियों के सबसे वंचित परिवार के पुरुष सदस्यों की अनुपलब्धता या उक्त योजना का लाभ पूर्व में मिल रहने की स्थिति में अन्य पिछड़ी जातियों/अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों/ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के चयन पर विचार कर सकेगी।

(ख) चूँकि वांछित लाभार्थियों की संख्या और योजनाओं की उपलब्धता में हमेशा ही अंतर रहेगा, इसलिए ग्राम सभा योजनावार लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगी।

(ग) आपात स्थिति या गाँव के किसी परिवार के गंभीर रूप से आर्थिक संकटग्रस्त/मरणासन्न होने की स्थिति में ग्राम सभा प्राथमिकताओं के मापदंड को दरकिनार कर उस परिवार/व्यक्ति के हित में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सकती है परन्तु यह केवल अपवाद स्वरूप ही होगा।

(घ) ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित होने के बाद अंतिम रूप से चयनित लाभार्थियों की सूची सम्बंधित विभागों या सक्षम पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी। संबंधित विभाग और सक्षम पदाधिकारियों के लिए इस सूची को मानना बाध्यकारी होगा।

11. सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं का अनुश्रवण :

11.1 ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि गाँव के सभी लोगों को भोजन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वच्छता, पेयजल आदि सामाजिक सुविधायें नियमित रूप से मिले। इसके लिए ग्राम सभा;

(क) सामाजिक प्रक्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं अपने कार्यक्रमों से सम्बंधित वार्षिक विवरणी ग्राम सभा को समर्पित करेंगी तथा ग्राम सभा की सहमति से सम्बंधित गाँव में कार्यों का क्रियान्वन करेगी। वार्षिक विवरणी देते समय, ग्राम सभा को निम्न जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा:

- I. कार्य का नाम
- II. कार्य का संक्षिप्त विवरण
- III. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
- IV. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
- V. कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति
- VI. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम एवं संबंधित पदाधिकारियों की अद्यतन जानकारी
- VII. कार्य शुरू होने की तिथि
- VIII. कार्य समाप्त होने की तिथि
- IX. लाभुकों की सूची
- X. कार्य से गाँव में होने वाले लाभ
- XI. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया एवं लाभार्थी के चयन की प्रक्रिया।

(ख) ग्रामसभा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों से जुड़े स्थानीय संस्थानों जैसे-स्कूल, अस्पताल, जनवितरण प्रणाली की दुकानें, आंगनवाडी केंद्र एवं कर्मियों जैसे-आंगनवाडी कार्यकर्ता /बैंक सखी/ महिला समूह/ पारा शिक्षक / सहिया/जल सहिया/पोषण सखी इत्यादि की समय-समय पर समीक्षा करने के लिये सक्षम होगी।

(ग) ग्राम सभा सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं की आधारभूत संरचना की स्थिति, उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं तक लोगों की पहुँच उपलब्ध सुविधाएं, सेवायें, कर्मियों के काम और विशिष्ट भूमिका, उसका प्रभाव और सेवाओं को देने में हो रही कठिनाईयाँ आदि की अद्यतन स्थिति और यथोचित कारवाई के लिए साल में कम से कम चार बार समीक्षा बैठक करेगी।

(घ) तकनीकी विषयों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण ,संसाधनों के प्रबंधन, निर्माण आदि की समीक्षा के लिए ग्रामसभा विशेषज्ञों की कार्यदल बना सकती है। इस कार्यदल में ग्राम सभा अन्य दूसरे गाँव या अन्य जिलों के विशेषज्ञों को शामिल कर सकती है। यह टास्क फोर्स ग्राम सभा के निर्देशन और नियंत्रण में काम करेगी।

(ड) स्थानीय संस्थानों की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार में के लिये ग्रामसभा के द्वारा दिये गये निर्देशों का संबंधित कर्मियों के द्वारा पालन किया जाएगा।

11.2 ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण : जमीनी स्तर पर चल रही योजनाओं की गुणवत्ता जाँच तथा मूल्यांकन के लिए, ग्राम सभा योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करेगी। इसके लिए ग्राम सभा विशेषज्ञों की एक समिति बना सकती है।

(क) सामाजिक अंकेक्षण के लिए, योजनाओं के चयनोपरांत उस कार्यक्रम या योजना से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज ग्राम सभा द्वारा एकत्र किए जायेंगे। ग्राम सभा सम्बंधित विभाग से दस्तावेज की मांग लिखित कर सकेगी और विभाग/संस्थान, दस्तावेजों को 30 दिन की अवधि के अन्दर ग्राम सभा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

(ख) विशेषज्ञों का दल ग्राम सभा के लिए दस्तावेजों को सरलीकरण करेगा एवं उनका वास्तविक दस्तावेजों से जमीन स्तर से सर्वप्रथम मिलान करेगी। फिर जमीन पर जाकर योजना क्रियान्वयन की जाँच करेगी एवं दस्तावेज में दर्शाए गए मानक से तुलनात्मक मिलान करेगी। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण टीम उन सभी कामगारों से भी प्रश्न भी कर सकेगी जिनका नाम मस्टर रोल में उल्लेखित है। जमीनी स्तर पर जाँच करने के पश्चात सामाजिक अंकेक्षण टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट सामाजिक अंकेक्षण के टीम द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में पढ़कर सुनाई जाएगी। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा जो आपत्तियां बताई जाती हैं उन्हें सामाजिक अंकेक्षण टीम के द्वारा लिखा जाएगा। ग्राम सभा सभी ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, निम्न कार्यों की जिम्मेवारी अलग-अलग किन्तु जागरूक नागरिकों को सौंप सकती है:

- I. सरकारी योजना या कार्यक्रम का चयन प्रक्रिया का अध्ययन करना।
- II. योजना से सम्बंधित दस्तावेजों का एकत्रिकृत करना।
- III. तथ्यों का सरलीकरण करना।
- IV. दस्तावेजों की जाँच करना।
- V. कार्यों की जमीनी स्तर पर जाँच करना।
- VI. दस्तावेजों और कार्यों का मिलान करना।
- VII. रिपोर्ट तैयार करना।
- VIII. रिपोर्ट ग्राम सभा में पढ़कर सुनाना।
- IX. आपत्तियों को लिखना।
- X. रिपोर्ट को जमा करना।

(ग) यदि ग्राम सभा में योजना या कार्यक्रम में रिपोर्ट जमा करने पर योजना एवं कार्यक्रम के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज होती हैं तो ग्राम सभा 30 दिन के अन्दर संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारियों के पास ग्राम सभा की अनुसंशा सहित कार्यवाही हेतु भेजेगी।

(घ) सम्बंधित विभाग 60 दिनों के अंतर्गत विभाग द्वारा किए गए कार्यवाई पर ग्राम सभा को सूचना प्रेषित करेगी। परन्तु कारवाई से संतुष्ट न होने की दशा में ग्राम सभा अग्रेतर कारवाई हेतु संबंधित विभाग के निदेशक/ MD/ सीईओ/ अन्य समक्ष को सुचित करेगी।

12. ग्राम सभा द्वारा निधियों के उपयोग का अभिप्रमाणित किया जाना:-

(क) ग्राम पंचायत क्षेत्र में चल रहे प्रत्येक पूर्ण कार्य की विवरणी, सम्बंधित ग्राम सभा को लाभार्थियों की सूची सहित कार्य का अंतिम भुगतान होने के 90 दिनों के अंतर्गत ग्राम सभा को समर्पित करेगी। 90 दिनों के अंतर्गत न जमा कर पाने की स्थिति में ग्राम सभा उचित कारणों को सुनने के पश्चात ही निधियों के उपयोग का अभिप्रमाणित कर सकेगी। ग्राम सभा के समक्ष निम्न फॉर्मेट में दस्तावेज जमा किया जायेगा -

- I. कार्य का नाम
- II. कार्य का संक्षिप्त विवरण
- III. कार्य के लिए स्वीकृत राशि (शीर्षवार)
- IV. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
- V. कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति
- VI. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम/संबंधित पदाधिकारियों का नाम अर्हत्ता, चयन प्रक्रिया, आवेदन की समय-सीमा एवं प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- VII. कार्य शुरू होने की तिथि
- VIII. कार्य समाप्त होने की तिथि
- IX. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया
- X. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है (शीर्षवार)
- XI. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
- XII. कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति
- XIII. कार्य के कार्य आदेश रजिस्टर एवं श्रम पंजी/ मस्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराएं।
- XIV. अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम व पद बताएं जिन्होंने कार्य का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी।

(ख) ग्राम पंचायत से प्राप्त जानकारी को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और यदि कार्य की गुणवत्ता/ व्यय के संबंध में कोई आपत्ति है तो ग्राम पंचायत के सचिव से ग्राम सभा स्पष्टीकरण की मांग करेगी।

(ग) संपन्न कार्यों की गुणवत्ता और व्यय की गयी राशि को योजना के अनुरूप सही पाए जाने पर ग्राम सभा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(घ) यदि ग्राम सभा को व्यय की गयी राशि को लेकर आपत्ति है और ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से वह संतुष्ट नहीं है तो, मामले पर अग्रतर कारवाई हेतु ग्राम सभा संबंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी को लिखित सूचना उपलब्ध कराएगी।

अध्याय-6

भूअर्जन एवं पुनर्स्थापन

13. भू-अर्जन एवं पुनर्स्थापना से पूर्व ग्राम सभा का परामर्श :

अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा की संसूचित परामर्श झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय-7

लघु जल निकायों का प्रबंधन

14. लघु जल निकाय का प्रबंधन :

14.1 जल स्रोतों का नियोजन एवं प्रबंधन

- (क) जल स्रोतों का प्रबंधन एवं उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि इन्हें आगामी पीढ़ियों के लिए बरकरार रखा जाय एवं सभी ग्रामीणों का इस पर बराबर अधिकार हो।
- (ख) ग्राम पंचायत के अंतर्गत जल निकायों को ग्राम सभा के द्वारा प्रबन्धित किया जायेगा और एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों के क्षेत्रांतर्गत जल निकायों का पंचायत समिति के द्वारा एवं एक से ज्यादा प्रखंड के अंतर्गत लघु जल निकायों का प्रबंधन जिला परिषद् के द्वारा किया जाएगा।
- (ग) अनुसूचित क्षेत्रों में मत्स्य पालन एवं पेयजल प्रबंधन, 10 हेक्टेयर तक के लघु जल निकाय ग्राम पंचायत, 10 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 100 हेक्टेयर तक के लघु जल निकाय पंचायत समिति एवं 100 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 200 हेक्टेयर तक के लघु जल निकाय जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा।
- (घ) ग्राम सभा या पंचायत समिति या जिला परिषद् (जैसी स्थिति हो), ग्राम सभा की परामर्श से परम्पराओं एवं लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए गांव में उपलब्ध प्राकृतिक जल स्रोत को विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमित करेगी एवं उपयोग की प्राथमिकता भी निर्धारित करेगी।
- (ङ) त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए अनिवार्य होगा कि प्राकृतिक जल निकाय से सम्बन्धित कोई भी निर्णय लेने के पूर्व ग्राम सभा से परामर्श प्राप्त करें। ग्राम सभा द्वारा पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत योजना पर निर्णय देना अनिवार्य होगा अन्यथा योजना स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। ग्राम सभा के सचिव प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि को पत्र प्राप्ति रजिस्टर में लिखेंगे एवं अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देंगे। अध्यक्ष 15 दिनों के अन्दर ग्राम सभा की बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु, विशेष परिस्थिति में जब ग्राम सभा सुनवाई जारी हो परन्तु तय समय-सीमा में ग्राम सभा निर्णय लेने में असमर्थ हो तो ऐसे परिस्थिति में ग्राम सभा अलग से 30 दिनों का समय ले सकेगी एवं उप-विकास आयुक्त को लिखित में रूप से प्रारंभिक समयसीमा के अंतर्गत सूचित करेगी।

14.2 सिंचाई का प्रबन्धन :

- (क) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् (जैसी स्थिति हो), ग्राम सभा से परामर्श लेने के बाद ही सिंचाई के लिए जल के उपयोग को विनियमित करेंगी।
- (ख) सिंचाई के लिए जल का उपयोग इस प्रकार होगा कि सबकी समान पहुंच हो।
- (ग) संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सभा का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
- (घ) जल निकायों को प्रदूषण को रोकने हेतु ग्राम सभा आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगी।

14.3 तालाब की भूमि का प्रबन्धन: ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् (जैसी स्थिति हो), सार्वजनिक प्राकृतिक संपदा समिति एवं संबंधित विभाग के परामर्श से सिंचाई या अन्य उद्देश्यों के लिए निर्मित तालाब के जलस्तर में कमी से उपलब्ध भूमि पर खेती की व्यवस्था करेंगे।

14.4 मछली पकड़ना, मखाना, पानी फल एवं अन्य उत्पाद :

- (क) सभी व्यक्तियों को गांव के क्षेत्र के अधीन स्थित प्राकृतिक जल संसाधनों में परम्परा के अनुसार निजी उपभोग के लिए मछली पकड़ने का समान अधिकार होगा। उक्त प्राकृतिक जल संसाधन किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था के साथ सरकारी प्रावधानों के अंतर्गत बन्दोबस्त नहीं हो।
- (ख) स्थानीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, ग्राम या एक से अधिक ग्राम के क्षेत्र के अंतर्गत तालाब/ आहर/पोखर है तो, ग्राम पंचायत मछली पकड़ने के किसी पहलू से संबंधित आवश्यक शर्तें लगा सकेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक या अधिक व्यक्ति अनुचित प्रकार से अपने क्षेत्राधिकार से आगे न बढ़े और मछलियों की उपलब्धता बनी रहे। ग्राम पंचायत ऐसी शर्त अंकित नहीं करेगी जो राजस्व जलकरों की बन्दोबस्ती के प्रावधानों के विपरीत हो।
- (ग) मछली पालन के लिए तालाब/आहर/पोखर से होने वाले उपज एवं अन्य उत्पाद की निलामी करने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा/सभाओं की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा को लिखित सूचना पत्र के माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत योजना पर निर्णय देना अनिवार्य होगा अन्यथा योजना स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। ग्राम सभा के सचिव प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि को पत्र प्राप्ति रजिस्टर में लिखेंगे एवं अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देंगे। अध्यक्ष 15 दिनों के अन्दर ग्राम सभा की बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु, विशेष परिस्थिति में जब ग्राम सभा सुनवाई जारी हो परन्तु तय समय-सीमा में ग्राम सभा निर्णय लेने में असमर्थ हो तो ऐसे परिस्थिति में ग्राम सभा अलग से 30 दिनों का समय ले सकेगी एवं उप-विकास आयुक्त को लिखित में रूप से प्रारंभिक समयसीमा के अंतर्गत सूचित करेगी।

- (घ) मछली पालन की नीलामी प्राप्त राजस्व को उस तालाब/आहर/पोखर के क्षेत्रफल में हिस्सेदारी के अनुपात में ग्राम सभाओं को 80% राशि वितरित की जाएगी एवं 20% समुचित स्तर पर नीलामी वाली पंचायतों को देय होगी। इस राशि का खर्च पंचायत मुख्यालय: जल स्रोतों के प्रबंधन में कर सकेंगी। स्थानीय सहयोग समितिओं को प्राथमिकता दी जायेगी। ग्राम सभा प्राप्त राशि का ग्राम विकास के जरूरतों को ध्यान में रखते राशि का खर्च कर सकती है।

अध्याय-8

लघु खनिज

15. लघु खनिजों के लिए ग्राम सभा द्वारा योजना तैयार करना

15.1

- (क) ग्राम सभा मिट्टी, पत्थर, बालू, मोरम इत्यादि सहित अपने क्षेत्र में पाये जाने वाले लघु खनिजों के लिए योजना बनाने और इसके उपयोग के लिए सक्षम होंगी।
- (ख) ग्राम सभा के निर्देश एवं नियंत्रण में सार्वजनिक एवं प्राकृतिक सम्पदा प्रबंधन समिति, इस जिम्मेवारी का निर्वहन करेगी।
- (ग) बालू घाट जिस ग्राम सीमा के अंतर्गत हो उसका सीमांकन जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा कराकर उसे संबंधित (Jharkhand State sand Mining Policy, 2017 के अनुसार category-1) बालू घाट को ग्राम सभाओं को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ग्राम सभा स्वयं बालूघाट का संचालक होगी अथवा अपने स्तर से स्थानीय जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। बालू घाट की इस्तेमाल से जो राजस्व प्राप्त होगा उसे ग्राम सभा अपने कोष में जमा कर इस राशि का व्यय ग्राम विकास अथवा स्थानीय विकास के लिए कर सकेगी। (झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004, अध्याय-3, कंडिका 12(2))
- (घ) ग्राम सभा को हस्तांतरित बालू घाट में ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी परिस्थिति में नदी के तल में जेसीबी या अन्य किसी मशीन से बालू का खनन नहीं हो।
- (ङ) ग्राम सभा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारत सरकार के निर्देशों के आलोक में मानसून सत्र की अवधि (झारखण्ड के सन्दर्भ में 10 जून से 15 अक्टूबर) में बालू के खनन और उठाव पर पूर्णतया रोक लगाया जाना सुनिश्चित करेगी।

15.2 ग्रामीणों के द्वारा उपयोग: ग्रामीण परम्परागत प्रथाओं के अनुसार अपने निजी जरूरत के लिए लघु खनिजों का उपयोग कर सकते हैं लेकिन,

- (क) खनिजों का उपयोग के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य होगी।
- (ख) परम्परागत आवासों से अलग पक्का मकान बनाने के लिए ग्राम सभा स्थानीय प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्रियों जैसे पत्थर, बालू, मिट्टी, मिट्टी एवं अन्य पाए जाने वाले प्राकृतिक लघु खनिज के प्रयोग की मात्रा खनन पट्टा हेतु स्वीकृति प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (JPCB) से प्राप्त सहमतियों के अनुरूप होगा एवं इस पर रायल्टी झारखण्ड लघु खनिज

समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुरूप अधिसूचित दर द्वारा राज्य सरकार के लिए खनन एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड प्राप्त करेंगी।

- (ग) ग्राम सभा, खुदाई के सामान्य या विशेष बुरे प्रभाव की क्षतिपूर्ति के लिए खुदाई कर रहे व्यक्तियों की जिम्मेवारी भी तय कर सकती है, जैसे- गड़दों को भरना, पेड़ लगाना, तालाब का निर्माण इत्यादि।

15.3 लघु खनिज का खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार:

- (क) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अध्याय 2 के उपबंध 5 (4) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बंधित ग्राम सभा अथवा समुचित स्तर पर पंचायत की पूर्व संसूचित सलाह के बिना लघु खनिज का कोई खनन पट्टा अथवा खुली खान अनुमति पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

(ख) खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता के आधार:

- I. लघु खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति के सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके आवेदन की अनुपलब्धता पर ग्राम सभा के अन्य सदस्यों की सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। (अध्याय -3, उपबंध 13(1)(क))
 - II. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहयोग समिति का आवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के सदस्य को क्रमशः प्राथमिकता दी जायेगी। (अध्याय -3, उपबंध 13(1)(ख))
 - III. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहयोग समिति अथवा व्यक्ति के आवेदन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में सामान्य वर्ग के सदस्यों की सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जायेगी। (अध्याय -3, उपबंध 13(1)(ग)
- (सहयोग समिति से अभिप्रेत है वह सहयोग समिति जो बिहार स्वालंबी सहयोग समिति अधिनियम, 1996, सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अंतर्गत विधिवत निबंधित हो)

15.4 पर्यावरण संरक्षण:

- (क) लघु खनिजों के उत्पादन की वाणिज्यिक संभावना वाले गावों में, लघु खनिजों के वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने की अनुमति देने के पूर्व, खनिज विभाग को ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करने हेतु लघु खनिजों के दोहन की पूर्ण कार्य योजना समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- (ख) लघु खनिजों के दोहन की योजना में उत्खनन क्षेत्र अंतर्गत खनन के दुष्प्रभावों जैसे गड़दों का होना, पानी एवं वनस्पति का क्षरण, खेतों पर राख, धूल, धूँ का प्रभाव इत्यादि के प्रबंधन की व्यवस्था में गड़दों का भरा जाना, पौधे लगाना आदि शामिल होंगे।
- (ग) यदि पर्यावरण संरक्षण इत्यादि के लिए, सरकार के द्वारा कोई शर्त लगायी गयी हो, तो संबंधित अधिकारी इस संबंध में ग्राम सभा को पूरी सूचना प्रदान करेगा।

(घ) सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और विभिन्न पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के लिए ग्राम सभा आदेश पारित कर सकती है।

(ङ) अगर ग्राम सभा को आवश्यक लगे तो वह राज्य प्रदूषण बोर्ड से सलाह ले सकती है।

अध्याय-9

मादक द्रव्यों का नियंत्रण

16. मादक द्रव्यों का विनियमन:

16.1

(क) अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत ढंग से चावल से उत्पादित देशी शराब अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए इलि, महुआ-शराब, पचवई, बोड़ें, डियंग, झारा इत्यादि का विनिर्माण, उत्पादन, उपभोग, भंडारण, आदि कर सकेंगे, अर्थात्

I. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा इलि, महुआ-शराब, पचवई, बोड़ें, डियंग, झारा इत्यादि का विनिर्माण घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिये ही किया जायेगा।

II. इस प्रकार विनिर्मित इलि, महुआ-शराब, पचवई, बोड़ें, डियंग, झारा इत्यादि के भंडारण की अधिकतम सीमा ग्राम सभा तय कर सकेगी।

(ख) मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को नियमित करने तथा प्रतिबंधित करने की ग्राम सभा की शक्ति -(1) ग्राम सभा को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियंत्रित करने तथा प्रतिबंधित करने की शक्ति होगी।

(ग) ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समाविष्ट किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ग्रामसभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिये नयी विनिर्माणशाला स्थापित नहीं की जायेगी और मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए कोई नया निकाय नहीं खोला जायेगा।

नियम ((ख) एवं (ग), के नियम पर ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध, कोई आदेश ऐसे विनिर्माणशाला के मामले में लागू नहीं होगा, जो पूर्व से स्थापित प्रतिष्ठानों के विस्तार (Extension) उत्पाद एवं भंडारण क्षमता में विस्तार हेतु नवनिर्माण पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे और झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 1915 से इस उपबंध के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थापित की गयी हो।

16.2 यदि कोई ग्रामसभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय और उत्पादन को प्रतिबंधित करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे

(क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नयी विनिर्माणशाला स्थापित नहीं की जायेगी।

(ख) किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिये कोई नया निकाय नहीं खोला जायेगा और विवादास्पद निकास (यदि कोई हो) प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आनेवाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिया जायेगा।

- (ग) कोई भी व्यक्ति, किसी ग्रामसभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय का उपभोग नहीं करेगा।
- (घ) ग्राम सभा लोगों के कल्याण से जुड़े मामलों पर किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ बनाने वाले फैक्टरी के मालिक को आवश्यक निर्देश दे सकती है अथवा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सक्षम पदाधिकारी को हस्तक्षेप करने के लिए कह सकती है।

16.3 महिलाओं के विचारों का महत्वपूर्ण होना:

- (क) उपर्युक्त विषयों में से किसी पर भी, ग्राम सभा में उपस्थित महिला सदस्यों के दृष्टिकोण को ग्राम सभा का दृष्टिकोण माना जाएगा और उस दृष्टिकोण के अनुसार ही इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।
- (ख) मादक द्रव्यों के विनियमन के मुद्दे पर होने वाली ग्राम सभा की हर बैठक महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

अध्याय-10

लघु वन उपज

17. लघु वन उपज

17.1 लघु वन उपज संबंधित अधिकार:-

- (क) ग्राम सभा क्षेत्र के सीमा के भीतर वन भूमि पर लघु वनोपज का स्वामित्व, संग्रहण का अधिकार तथा उसके उपयोग एवं निपटान का अधिकारों की मान्यता अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) एवं 3(1)(ग) में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार होगा।
- तथापि इस नियमावली में किसी बात को रहते हुए भी झारखण्ड राज्य में केन्दू पत्ती का संग्रहण, प्रबंधन एवं विपणन; बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार-नियंत्रण) अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची द्वारा संग्रहकर्ता और/या ग्राम सभा के खाते में जमा किया जाएगा।
- (ख) ग्राम सभा क्षेत्र के सीमा के भीतर, वन भूमि पर किसी लघु वनोपज के स्वामित्व का अधिकार, किसी व्यक्ति या समुदाय को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार सभी लघु वनोपज के स्वामित्व का अधिकार ग्राम सभा को होगा।

17.2 ग्राम सभा के कर्तव्य:- ग्राम सभा निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करेगी-

- (क) ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में स्थित वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(झ) तथा धारा 5 के अनुसार ग्राम सभा की होगी।
- (ख) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि लघु वनोपज के संग्रहकर्ता द्वारा लघु वनोपज के संग्रहण के क्रम में वन, वन्यजीव एवं जैव विविधता की क्षति नहीं पहुँचाई गई हो।

- (ग) किसी व्यक्ति द्वारा परम्परागत रूप से लघु वनोपज का संग्रहण, स्वामित्व एवं विपणन के विषय पर व्यक्तिगत दावों के मामलों में ग्राम सभा ऐसे दावों के सत्यापन के बाद बहुमत के आधार पर विवाद का निपटारा कर सकेगी।
- (घ) बाँस के राईजोम को खोदने एवं निकालने तथा बाँस के फूल के आने के समय विदोहन को प्रतिबंधित करना ।
- (ङ) ग्राम सभा वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का कार्य उसके द्वारा गठित सार्वजनिक सम्पदा समिति के माध्यम से करेगी। इस हेतु ग्रामसभा द्वारा आवेदन करने पर सरकार के समस्त विभाग सहायक करेंगे।
- (च) ग्राम सभा परिवार और सामुदायिक जरूरतों जैसे निस्तार, चराई, जलावन, कृषि उपकरण बनाने के लिए सूखी और मरी लकड़ी, बांस तथा पारंपरिक संस्कार में लगने वाले पदार्थों के न्यूनतम आवश्यकतानुसार, वन से निकालने के लिए व्यवस्था करेगी।
- (छ) प्रत्येक ग्राम सभा अथवा ग्राम सभा समूह अपने-अपने क्षेत्रों में अपने सदस्यों के हितों, वनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन, पर्यावरण में सुधार और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्यक्रम बनाएगी।
- (ज) लुप्त प्राय वन्यजीव एवं जैव प्रजातियों का संरक्षण एवं पुर्नवास कर स्थानीय जैव विविधता का पुनः स्थापन का प्रयास करेगी ।

17.3 वन से संबंधित विभागीय कार्यक्रमों के लिए ग्राम सभा के साथ परामर्श

- (क) लघु वनोपज को छोड़कर वन भूमि से वन उपज के दोहन के लिए विभागीय कार्यक्रम तैयार करने के पूर्व वन विभाग, ग्राम सभा से परामर्श करेगी और ग्राम सभा ऐसी योजना को संशोधित/ असंशोधित रूप से अनुमोदित करने के लिए सक्षम होगी।
- (ख) वन क्षेत्र से वन विभाग द्वारा ऐसे पेड़-पौधों का व्यवसायिक रूप से विदोहन नहीं किया जायेगा, जो स्थानीय लोगों के लिए उपयोग हेतु हो।

17.4 लघु वन उपज का प्रबंधन एवं विपणन -

- (क) अनुसूचित वन क्षेत्रों में वनों के सतत एवं परंपरागत प्रबंधन हेतु ग्राम सभा की सार्वजनिक सम्पदा समिति जिम्मेवार होगी:
परन्तु इसका आशय यह नहीं होगा कि वनभूमि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में निहित हो गई है।
- (ख) उक्त समिति लघु वन उपज के प्रबंधन हेतु एक 5 वर्षीय सूक्ष्म प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार कर सकेगी । ग्राम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन विभाग से परामर्श ले सकेगी।
- (ग) ग्राम सभा सूक्ष्म प्रबंध योजना के जरिए लघु वनउपज का समुचित दोहन तथा जैव विविधता व जैविक स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन कर सकेगी।
- (घ) सार्वजनिक सम्पदा समिति द्वारा लघु वनोपज के प्रत्येक संग्रहकर्ता का नाम, उनके द्वारा संग्रह किए जाने वाले लघु वनोपज, उसकी मात्रा इत्यादि अभिलेख पंजी में संधारित करेगा।

- (ड) लघु वनोपज की सीमित मात्रा होने की स्थिति में, ग्राम सभा आर्थिक रूप से कमजोर तथा संसाधन विहिन व्यक्तियों को प्रथमिकता देते हुए एक चक्रीय व्यवस्था बना सकती है।
- (च) लघु वनोपज के संग्राहक/ग्राम सभा एकत्रित लघु वनोपज को अपनी पसंद के अनुसार बेचने के लिए स्वतंत्र है।
- (छ) ग्राम सभा, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य सहकारी संघ या सरकार द्वारा गठित सहकारिता समिति या फेडरेशन को संग्राहक से निर्धारित मूल्यों पर लघु वनोपज क्रय कर बेचने के लिए अधिकृत कर सकता है।
- परन्तु, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची या अन्य अधिकृत समिति/संघ द्वारा लघु वनोपज के विक्रय के पश्चात परिवहन, विपणन, आदि में हुए खर्च की कटौती कर प्राप्त शुद्ध लाभ ग्राम सभा के खातों में जमा किया जाएगा।
- (ज) ग्राम सभा को लघु वनोपज के विपणन से प्राप्त शुद्ध लाभ का उपयोग सामुदायिक विकास कार्यो और/या लघु वनोपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा।
- (झ) लघु वनोपज को सुचारू रूप से प्रबंधन एवं विपणन हेतु राज्य सरकार एवं समुचित स्तर के पंचायत द्वारा लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन बाजार लिंकेज इत्यादि में सहायता, प्रशिक्षण, लघु वन उपज विकास केन्द्र, मानव शक्ति इत्यादि उपलब्ध कराएगी।

17.5 ग्राम सभा के द्वारा लघु वनोत्पाद का मूल्य रॉयल्टी तय किया जाना

- (क) लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या कोई अन्य सरकारी विभाग/संघ/समिति के द्वारा किया जा सकेगा।
- (ख) एक या एक से अधिक ग्राम सभा चाहे तो संयुक्त रूप से वन विभाग के परामर्श से वनोपज की खरीदी एवं बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर सकेगी। ग्राम सभा ऐसे न्यूनतम मूल्य पर क्रय तथा उसके बेचने या निपटान की व्यवस्था सार्वजनिक सम्पदा समिति के माध्यम से करेगी।
- (ग) ग्राम सभा, लघु वनोपज पर संग्रहकर्ता या व्यापारी द्वारा देय रॉयल्टी का निर्धारण वन विभाग के परामर्श से कर सकेगी।
- (घ) किसी अधिनियम, नियम या विनियमों के अधीन किसी सरकारी विभाग या सहकारी संघ या सहकारिता समिति के द्वारा संग्रहित लघु वनोपज को ग्राम सभा क्षेत्र के बाहर ले जाने के पूर्व, ग्राम सभा को संसूचित करना अनिवार्य होगा।

अध्याय-11

संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन

18. अनुसूचित जनजाति की विधि विरुद्ध संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन-

18.1 गाँव में भूमि के संबंध में, ग्राम सभा निम्न गतिविधियां कर सकती है:-

- (क) ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी कि कृषि योग्य भूमि किसी भी कारण से परती नहीं रहे और गाँव से बाहर गये प्रवासी लोगों, आश्रितों एवं नाबालिगों इत्यादि की भूमि पर खेती तथा ऐसी भूमि के लिए उचित व्यवस्था निर्धारित करेगी।
- (ख) ऐसी व्यवस्था बनाना, जिससे कि प्रवासी लोगों की भूमि पर भूमिहीनों या जरूरतमंद लोगों के द्वारा खेती की जा सके और ऐसी खेती के लिए शर्तें बनाना।
- (ग) गाँव के गृह विहीनों को गृह स्थल या गाँव के अंतर्गत गृह विहीनों को गृह स्थल उपलब्ध कराने हेतु गृह स्थल का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। गृह विहीनों की सूची ग्राम सभा की अनुसंशा के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा बनायी जाएगी।
- (घ) भूमि की गिरवी से संबन्धित सभी मामलों को ग्राम सभा के द्वारा निर्धारित समिति के द्वारा संज्ञान में लाया जाएगा। सी.एन.टी/एस.पी.टी.एक्ट के तहत नियम ही मान्य होगा।
- (ङ) उपर्युक्त प्रावधान केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के भूमि के सम्बन्ध में लागू होंगे।

18.2 हस्तांतरित भूमि की वापसी:

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में आदिवासियों को अवैध रूप से अंतरित भूमि पुनः वापसी का प्रावधान है, इसका विस्तार पूरे छोटानागपुर एवं पलामू प्रमंडल के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है। इसके अन्तर्गत भूमि वापसी की शक्ति उपायुक्त पर केन्द्रित है।

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में आदिवासियों की अवैध रूप से अंतरित भूमि पुनः वापसी का प्रावधान है। इसका विस्तार पूरे संथाल परगना प्रमंडल के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है। इसके अन्तर्गत भूमि वापसी की शक्ति उपायुक्त पर केन्द्रित है अतः,

- (क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 दिन के अन्दर राजस्व कर्मचारी द्वारा रजिस्टर 2 की प्रतिलिपि ग्राम सभा को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ख) **ग्रामसभा द्वारा भूमि की वापसी:** यदि कोई ग्रामसभा अपने अधिकार क्षेत्र में यह पाती है कि अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य से किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी जमीन गैर कानूनी ढंग से या उसकी नासमझी का फायदा उठाकर अपने कब्जे में कर ली है, तो वह उस भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी वह मूलतः जमीन थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके वैधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी।

परन्तु यदि ग्रामसभा किसी भी कारण से ऐसी भूमि को प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपायुक्त को ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करते हुए सूचित करेगी।

- (ग) **हस्तान्तरणों का नियमन:** ग्रामसभा के क्षेत्र में किसी भी तरह की भूमि हस्तान्तरण के पूर्व उपायुक्त ग्राम सभा से अनुसंशा को प्राप्त करने के पश्चात ही भूमि का हस्तान्तरण कर सकेंगे।

अध्याय-12

बाजारों का प्रबंधन

19. बाजारों का प्रबंधन :

- 19.1** झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम की धारा 10 (5) (अ) के अधीन ग्राम सभा के अपने क्षेत्र में अवस्थित बाजारों, मेला, पारंपरिक जतरा (पशु मेला सहित) का नियंत्रण और उनका प्रबंधन ग्राम पंचायत के सहयोग से करेगी।
- 19.2** ग्राम सभा का यह कर्तव्य होगा की,
- (क) बाजार में दुकानदारों एवं उपभोक्ताओं के लिए जल, शेड एवं अन्य भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी।
 - (ख) बाजार में जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के प्रवेश एवं विक्रय पर रोक लगाएगी।
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगी कि व्यवहार में भार एवं माप वास्तविक हैं।
 - (घ) प्रभारित किये जा रहें मूल्यों का जानकारी एकत्र और साझा करेगी।
 - (ङ) मूल्यों से सम्बंधित धोखा धड़ी या गलत जानकारी सहित समस्त व्यवहार प्रतिबंधित करेगी।
 - (च) बाजार में या इसके आस पास के क्षेत्र में जुआ एवं सट्टेबाजी (चाहे वह जिस प्रकृति का हो) इत्यादि को प्रतिबंधित करेगी।
 - (छ) बाजार में दुकानदारों पर कर अधिरोपित करने की शक्ति होगी परन्तु बाजार में लघु विक्रेताओं पर कोई कर अधिरोपित नहीं की जाएगी।
 - (ज) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम होगी कि कौन लघु विक्रेता के रूप में अर्हित होता है।
 - (झ) बाजार एवं मेला, पारंपरिक जतरा में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

अध्याय-13

उधार पर नियंत्रण

20. उधार पर नियंत्रण:

20.1

- (क) ग्राम सभा झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) अधिनियम 2016 के नियम के अनुसार कार्रवाई करने में सक्षम होगी।
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं सेबी में पंजीकृत संस्थाएँ ही अनुसूचित क्षेत्र में कर्ज लेन देन हेतु अधिकृत होंगे।

- (ग) ऐसी संस्थाओं को ग्राम पंचायत भवन या अन्य सार्वजनिक स्थान पर ब्याज की दर के संबंध में एक सूचना पटल लगाना अनिवार्य होगा।
- (घ) इन संस्थाओं को ग्राम सभा क्षेत्र में दिये गए ऋण, ब्याज की दर तथा ऋण की शर्तों के संबंध में प्रतिवर्ष ग्राम सभा में लिखित जानकारी देना आवश्यक है।
- (ङ) पंजीकृत संस्थाओं के अतिरिक्त किसी साहूकारी की जानकारी प्राप्त होने पर शिक्षा एवं सामाजिक न्याय समिति ऐसे साहूकारों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेंगी।
- (च) ऋण चुकाने में असफल होने की स्थिति में व्यक्ति पर वसूली भूमि की नीलामी कुर्की अथवा कानूनी कार्रवाई के प्रकरणों में ग्राम सभा कर्जदार के न्यूनतम आवश्यकताओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी।

21. कठिनाइयों का दूर किया जाना :

यदि इस नियमावली के नियमों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसर के अपेक्षा अनुसार शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत होता हो।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरुण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट 1

क्र० सं०	आईपीसी धारा	अपराध	अधिकतम अर्थदंड
1	160	दंगा, फसाद	अधिकतम रु. 100 तक
2	264	गलत तौल के बाटों का प्रयोग	अधिकतम रु. 500 तक
3	265	खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग	अधिकतम रु. 500 तक
4	266	खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना	अधिकतम रु. 200 तक
5	267	खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना	अधिकतम रु.1000 तक
6	269	उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य हो	अधिकतम रु. 500 तक
7	277	लोक जल-श्रोत या जलाशय का जल प्रदूषित करना	अधिकतम रु. 500 तक
8	283	लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा	अधिकतम रु. 200 तक
9	285	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम रु. 500 तक
10	286	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम रु.1000 तक
11	288	किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के सम्बंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम रु. 500 तक
12	289	जीवजन्तु के सम्बंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	अधिकतम रु. 500 तक
13	290	अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड	अधिकतम रु. 200 तक
14	294	अश्लील कार्य और गान	अधिकतम रु. 200 तक
15	298	धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि	अधिकतम रु. 500 तक
16	323	स्वेच्छया उपाहित कारित करने के लिए दंड	अधिकतम रु.1000 तक
17	334	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहित करना	अधिकतम रु. 500 तक
18	336	कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेत्र संकटापन्न हो	अधिकतम रु. 500 तक
19	341	सदोष अवरोध के लिए दंड	अधिकतम रु. 500 तक
20	352	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या अपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड	अधिकतम रु. 500 तक
21	374	विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम	अधिकतम रु.1000 तक
22	379	चोरी के लिए दंड	अधिकतम रु.1000 तक

23	403	संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग	अधिकतम रु. 500 तक
24	411'	चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से दुर्नियोग	अधिकतम रु. 500 तक
25	417	छल के लिए दंड	अधिकतम रु. 500
26	426	रिष्टि के लिए दंड	अधिकतम रु. 200 तक
27	427	रिष्टि जिससे पचास रूपए का नुकसान होता है	अधिकतम रु. 200 तक
28	428	दस रूपए के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि	अधिकतम रु.100 तक
29	429	किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रूपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि	अधिकतम रु. 500 तक
30	447	आपराधिक अतिचार के लिए दंड	अधिकतम रु. 500 तक
31	448	गृह द अतिचार के लिए दंड	अधिकतम रु. 100 तक
32	500	मानहानि के लिए दंड	अधिकतम रु. 500 तक
33	504	लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान	अधिकतम रु. 200 तक
34	506	आपराधिक अभिवास के लिए दंड	अधिकतम रु.1000 तक
35	509	शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है	अधिकतम रु.1000 तक
36	510	मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार	अधिकतम रु. 10 तक
'बशर्ते चोरी गयी गयी संपत्ति का मूल्य 250 रूपएसे ज्यादा नहीं हो			
